राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाडा)

बईजलास श्री भागीरथ साख (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 26 /2017 प्रा.पत्र

बालू पिता भागीरथ राव जाति राव उम्र वयस्क निवासी जीवणपुरा (आमा) तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये भू धारक तहसीलदार साहब कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.अधि.

निर्णय

उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री दिनेश शर्मा

दिनांक :- 11/02/2017

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आमा पटवार हल्का आमा में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 517/9 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार व पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम आमा की आराजी संख्या 517/9 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि बालू पिता भागीरथ बलाई सा.देह. जीवणपुरा के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात की आवंटन पत्रावली संख्या 382 में आवेदन पत्र बालू पिता भागीरथ राव के नाम से हुआ है व श्रीमान् उपजिलाधीश महोदय माण्डलगढ द्वारा दिनांक 16/07/1982 को बालू पिता भागीरथ राव के नाम से ही 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि आराजी संख्या 517 में से ही आवंटन करने के आदेश प्रदान किये गये थे। लेकिन सिपूर्दगी नामा पेश करते समय लिपिकिय त्रुटी में बालू की जाति में राव के बजाय बलाई का गलत अंकन हो गया है इसलिए बालू पिता भागीरथ बलाई के बजाय बालू पिता भागीरथ राव शुद्ध किया जाना उचित है ऐसा पटवारी व तहसीलदार ने रिपोर्ट में अंकित किया है।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम आमा की आराजी संख्या 517/9 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में बालू पिता भागीरथ बलाई के नाम पर अंकित है लेकिन आवंटन का आवेदन बालू पिता भागीरथ राव ने किया था व बालू पिता भागीरथ राव के नाम पर ही उक्त जिलाधीश महोदय माण्डलगढ द्वारा आवंटन करने के आदेश पारित किये थे। लेकिन लिपिकिय त्रुटी से जाति के कॉलम में राव के बजाय बलाई अंकित कर देने से बालू पिता भागीरथ राव के बजाय बलाई अंकित हो गया है जिसे शुद्ध किया जाकर बालू पिता भागीरथ राव राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

पटवारी रिपोर्ट एवं अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में संलग्न आवंटन पत्रावली संख्या 373/82 का अवलोकन किया गया उसके अनुसार आवंटन के लिए आवेदन पत्र बालू पिता भागीरथ राव के नाम से किया गया है व दिनांक 16/07/1982 को उपजिलाधीश माण्डलगढ द्वारा बालू पिता भागीरथ राव निवासी जीवणपुरा के नाम पर आराजी संख्या 517 में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन करने के आदेश पारित किये है लेकिन पर्चा सिपूर्दगी नामा व आगे पत्रावली में गलती से बालू पिता भागीरथ की जाति का अंकन बलाई के रूप में गलत कर दिया है जिसे शुद्ध किया जाकर राव किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम आमा पटवार हल्का आमा की आराजी संख्या 517/9 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में बालू पिता भागीरथ बलाई को शुद्ध किया जाकर बालू पिता भागीरथ राव के नाम दर्ज रेकार्ड किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
कोटडी (भीलवाडा)